R.N.I. No. : 56386/92 डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल सं./316/2012-2014

ISSN : 0971-6211
Date of Posting 4th-7th
Date of Printing 1st

मासिक

उद्यमिता

वर्ष : 21, अंक-11
मार्च 2013
कीमत ₹ 25/- मात्र

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना को सफलतापूर्वक मूर्तरूप देने के लिए

सेडमैप पुरस्कृत

स्वरोजगार के क्षेत्र में **कॅरियर की दिशाएँ**

पेस्ट कंट्रोल व्यवसायी होते हैं

स्वयं के बॉस

हर्बल शैम्पू

के निर्माण की इकाई योजना

A MONTHLY PUBLICATION ON SMALL INDUSTRY, SELF-EMPLOYMENT AND ENTERPRENEURSHIP

पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय अपनाकर स्वयं के बॉस बन सकते हैं, इस व्यवसाय की खास बात यह है कि इसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है,इस व्यवसाय को अपनाकर एक कुशल व्यवसायी कुछ ही वर्षों में अपना मनचाहा बिजनेस अम्पायर खड़ा कर सकता है.

पेस्ट कंट्रोल व्यवसायी होते हैं
स्वयं के बॉस

यदि आप स्वतंत्र प्रवृत्ति के हैं और किसी के मातहत कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय अपनाकर स्वयं के बॉस बन सकते हैं, इस व्यवसाय की खास बात यह है कि इसको सीमाओं में नहीं बाधा जा सकता है, मन लगाकर, मेहनत व ईमानदारी से कार्य करें और जितना चाहे आगे बढ़ते जाएं, इस व्यवसाय को अपनाकर एक कुशल व्यवसायी कुछ ही वर्षों में अपना मनचाहा बिजनेस अम्पायर खड़ा कर सकता है, यदि आप चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, ग्राहकों की समस्याओं को हल करने तथा सहायता करने का जज्बा आप में हैं, तो नि:संदेह यह व्यवसाय आपके लिए ही है।

पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय की बारीकियों पर चर्चा करने से पहले, आइये जानें कि पेस्ट होते क्या हैं, और उनको कंट्रोल करने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में पेस्ट उन दृश्य या अदृश्य जीवधारियों को कहा जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक या विनाशक होते हैं, अधिकतम पेस्ट हमारी आवश्यक वस्तुओं को क्षति पहुंचाते हैं, खाद्यान्नों को नष्ट करते हैं, व संक्रमित करते हैं, तथा अनेक साधारण व घातक बीमारियों का कारण बनते हैं, या उनके कारकों का संवहन करते हैं, हमारी आवश्यक वस्तुओं को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख पेस्ट हैं दीमक, चूहे, कॉकरोच, गिलहरिया, सिल्वरफिश, लकड़ी छेदक कीट, कॉरपेट बीटिल आदि, खाद्यान्नों को नष्ट व संक्रमित करने वाले प्रमुख पेस्ट हैं - चूहे, कॉकरोच, छिपकलियां, घुन, कबूतर व अन्य पंछी, राइस मौथ, धान का कीट, काटन बाल वोर्म, गन्ने का पाईरिला, पेस्ट मक्का का ग्रासहापर, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, आलू के कीट आदि।

साधारण व घातक बीमारियों वाले प्रमुख पैस्ट हैं मच्छर, चूहे, कॉकरोच, मक्खियां, खटमल, मकड़ियां, सॉप, बिच्छु, छछुन्दर, छिपकलियां, चींटियां, भिरड व बर्रे आदि।

कुछ अदृश्य पैस्ट में नाना प्रकार की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु, फफूंद, बैक्टीरिया तथा वाइरस इत्यादि आते हैं, कुछ पेस्ट जनित बीमारियां इस प्रकार हैं डेंगू, चिकिनगुनिया, मलेरिया, मैनिनजाईटिस, अस्थमा, टायफायड, रेबीज, डायरियां, काला अजार, पीलिया, स्केबीज, प्लेग, मीजल्स, हिपेटाइटिस, एंथ्रेक्स, लेप्रेसी आदि उपरोक्त के अतिरिक्त फसलों के खरपतवार को भी पैस्ट कहा जाता है जो फसलों की पैदावार को प्रभावित करते हैं, हानिकारक जीवों का अपना विस्तृत संसार होता है, ऐसे सभी जीवों को यहां सूचिबद्ध करना संभव नहीं है, देश की नगरपालिकाएं, नगर निगम नगर पंचायतें, मेला अधिकारी, जिलाधिकारी ग्रामसंभाएं, छोटे-बड़े किसान, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस एफसीआई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान, होटल, धर्मशालाएं, रेल्वे, एयरपोर्ट अथारिटीज, पानी के जहाज, तथा जनसाधारण आदि पैस्ट मैनेजमेंट कार्य नियमित रूप से करवाते रहते हैं।

प्राय: सभी शहरों में पैस्ट कंट्रोल व्यवसायी होते हैं, सामान्यतया इन व्यवसाइयों को पैस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल (Pest Management Professionals) यानी पीएमपी कहा जाता है। एक पैस्ट मैनेजमेंट कंपनी में कम से कम 4-8 श्रमिक या पैस्ट कंट्रोल आपरेटर यानि पीसीओ मिलकर कार्य करते हैं। सफलता मिलने पर कई

बड़े-बड़े व्यवसायी अन्य शहरों में भी अपनी कंपनी के कार्यालय खोल देते हैं।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

पैस्ट कंट्रोल व्यवसाय शुरू करने के लिए अभ्यर्थी के पास कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर अथवा बीएससी रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है।

आयु सीमा

आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है, आवश्यक शैक्षिक योग्यतायुक्त कोई भी व्यक्ति कभी भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है।

लाइसेंसिंग

भारत के प्रत्येक राज्य में स्थित क्षेत्रीय कृषि रक्षा अधिकारी पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय शुरू करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क लेकर लाइसेंस प्रदान करते हैं। जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण अनिवार्य होता है।

लाइसेंसिंग शुल्क

सामान्यतया लाइसेंसिंग शुल्क एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये के मध्य होता है।

मानक

पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय में कुछ मानकों का अनुपालन करना होता है, जिसके लिए भारत सरकार के निम्न कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।

i. Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, Website : http://www.bis.org.in

ii. Central Insecticides Board & Registration committee, Ministry of agriculture, NH4, CGO-Complex, Faridabad-121001,http://cibrc.nic.in/cibrc.htm

भवनों में दीमक नियंत्रण हेतु भारतीय मानक IS 6313 (2001, भाग-1, भाग-2 तथा भाग-3) का प्रयोग किया जाता है, जो प्रमुख संस्थानों के पुस्तकालयों में उपलब्ध होता है, इंटरनेट पर भी इसकी जानकारी मिल जाती है।

पेस्ट कंट्रोल यूनियन

पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय में नए-नए उत्पादों, मशीनों, उपकरणों तकनीकों तथा प्रमुख शोधों की अपडेटेड जानकारी हेतु पेस्ट कंट्रोल यूनियनों से जुड़ना फायदेमंद होता है, कुछ पेस्ट कंट्रोल यूनियन मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती हैं, जिनमें उपरोक्त के अतिरिक्त, भविष्य में होने वाली सेमिनार, वर्कशाप, तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम के विज्ञापन होते हैं, देश की प्रमुख पेस्ट कंट्रोल यूनियनों के नाम व पते इस प्रकार हैं :-

I.Indian pest control Association (IPCA) Flat No. 11 First Floor, 40,D.I.F. Industrial Area, Kriti Nagar, New Delhi-110015 Mail-delhi@ipca.org.in & ipca.delhi@gmail.com

ii. Pest Control Association of India (PCAI), Ramana Apartment, Door No. 13, H, First Main Road, Raj a Annamalai Puram, Chennai-600028, Tel. (044) 24617621, (044) 56105901.

iii. Pest Management Association (PMA) 136, Narayan Peeth Sitaphal Baug Colony, Pune-411030, Ph. 020-24452515, http://www.pestmanagementassoc.org.

आवश्यक है ट्रेनिंग व अनुभव

भारत में पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय अधिकतर विषैले कीटनाशकों पर आधारित हैं, कीटनाशकों की न्यूनतम मात्रा का भी दूरगामी परिणाम घातक हो सकता है। कीटनाशकों की विषाक्तता की गणना पीपीएम (Parts per miiiion) तथा पीपीबी (Part per billion) में आंकी जाती है, लापरवाही से प्रयोग करने पर कीटनाशकों का असर भूजल तथा पर्यावरण को प्रभावित करता है, तथा खाद्य श्रृंखला (Food chain) द्वारा मानव शरीर में प्रवेशकर रोगग्रस्त कर सकता है। पीएमपी को विषैले कीटनाशकों के साथ रात-दिन कार्य करना होता है, और स्वयं के साथ-साथ ग्राक के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है।

एक महत्वपूर्ण पहलु यह भी है कि कई पैस्ट ऐसे भी होते हैं, जो कि प्रयोग किए गए कीटनाशकों के प्रति शीघ्र ही प्रतिरोधक क्षमता (resistance) विकसित कर लेते हैं, जिससे उन पैस्ट पर तथा उनकी अगली पीढ़ी पर कीटनाशक का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है, कीटनाशकों की विषाक्तता तथा पैस्ट में कीटनाशकों के प्रति विकसित प्रतिरोधक क्षमता के अतिरिक्त नए-नए उपकरणों, उत्पादों तथा मशीनों की अपडेटेड जानकारी हेतु ट्रेनिंग व अनुभव की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। सफल पेस्ट कंट्रोल व्यवसायी बनने के लिए, आपको विनाशक जीवों, नए-नए कीटनाशकों, उपकरणों, संयंत्रों, उत्पादों तथा नए-नए शोधों के विषय में अपडेटेड ज्ञान होना चाहिए, इसके अलावा ग्राहकों के साथ उनकी पैस्ट समस्या तथा उपलब्ध निराकरण उपायों हेतु विस्तृत वार्तालाप के लिए भी आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करना, सकारात्मक सोच, सही निर्णय लेने की क्षमता तथा कठोर अनुशासन आदि लक्षण व्यवसाय में आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे।

व्यवसायिक प्रशिक्षण

भारत में ऐसा कोई संस्थान नहीं है, जो पैस्ट मैनेजमेंट में औपचारिक डिग्री प्रदान करता हो, फिर भी कुछ संस्थान हैं जो इस विषय में शार्ट-टर्म कोर्स करवाते हैं, जैसे -

I. CSIR-Central Food and Technological Research Institute (CFTRI), Mysore-570 020, Ph.+91-821-2514534, email : ttbd@cftri.res.in

ii. Fergussion College, FC Road, Pune - 411004, Pune, Maharashtra, India, Ph. 25655421, 25655119, website: http://www.fergusson.edu

विदेशों में बहुत से संस्थान हैं, जो पैस्ट मैनेजमेंट में औपचारिक डिग्री प्रदान करते हैं, उनमें प्रमुख हैं :-

I. Perdue University, Hoyde Hall, 610 Purdue Mall, West Lafayette, Ind. 47907 or 475 Stadium Mall Drive, West Lafayette, Ind. 47907, 765-

तालिका -1

क्र.	मैटेरियल	रेट (रूपये)	अनुमानित मूल्य (रूपये)
1.	कीटनाशक की मात्रा- 5 लीटर	400/-लीटर	2000.00
2.	ड्रिलिंग चार्ज (साधारण फ्लोर पर)	-	500.00
3.	साल्वेंट (डीजल,मिट्टी तेल या तारपीन तेल) -20 लीटर	50/-लीटर	1000.00
4.	सीमेंट, रेत तथा अन्य कन्जूमेबल (Consumable) सामग्री	-	800.00
5.	ट्रांसपोर्ट लगभग	-	400.00
6.	मशीनें तथा उपकरण	-	500.00
7.	लेबर चार्ज- 04 कर्मचारी	300/-कर्मचारी	1200.00
8.	अन्य (आफिस खर्चे आदि)लगभग	-	1000.00
9.	तीन वर्षों की गारंटी में अनुमानित खर्चा 3-4 विजिट	-	1000.00
	2000 वर्ग फिट क्षेत्र पर कुल अनुमानित लागत		8,400.00
	बी.क्लास शहर में (तीन वर्षों की गारंटी सहित) ग्राहक से चार्ज किया जाने वाला अनुमानित दाम-रूपये 6/वर्गफिट गुणा 2000 फिट		12,000.00
	कुल आमदानी/दिन		

494-1776, 765-494-4600 Mail : admission@perdue.edu.

ii. British Pest Control Association (BPCA), 4A, Mallard Way, Pride Park, Derby DE 24 8GX, Ph. + 44 (O)1332, 225113, Website- http:// www.bpca.org.uk

देश की बड़ी पैस्ट मैनेजमेंट कंपनियों में प्रमुख हैं पैस्ट कंट्रोल (इंडिया) लिमिटेड (पीसीआई) 36-यूसुफ बिल्डिंग, एमजी रोड, पोस्ट बाक्स नं. 1510, मुंबई 400-001 इस कंपनी की देश के लगभग हर शहर में शाखाएं हैं, इसके अतिरिक्त दूसरी बड़ी कंपनी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन 4/1 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, होज खास, नई दिल्ली- 1100 016, फोन : 011-26566107, प्राथमिक अनुभव तथा ट्रेनिंग के लिए इन दोनों कंपनियों से भी संपर्क किया जा सकता है, दोनों की कंपनियां प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयें का पैस्ट मैनेजमेंट से संबंधित व्यापार करती है, इनके अतिरिक्त दक्षिण भारत में पिछले 2-4 वर्षों से रेंटोकिल (इंडिया) प्रा.लि. नाम की एक विदेशी कंपनी भी बिजनेस कर रही है, जिसके कई देशों में कार्यालय हैं।

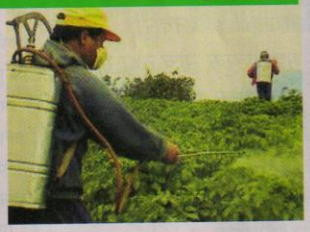

पैस्ट मैनेजमेंट साहित्य

पैस्ट कंट्रोल व्यवसाय की गहन जानकारी के लिए निम्नलिखित का अध्ययन लाभकारी रहेगा - Truman's scientific Guide to Pest Management Operations (7th Edition) by G.W. Bennett, Questex Media Group LLC & Purd : Roudent Control. A Practical Guide for Pest Management professionals by Robert Corrigan आदि।

व्यावसायिक कार्य

आमतौर पर पीएमपी नाना प्रकार की सेवाएं देता है, जैसे पैस्ट की पहचान करना उस पैस्ट के नियंत्रण हेतु सबसे उपयुक्त विधि की जानकारी अपने ग्राहक को देना, सबसे उपयुक्त कीटनाशक का चुनाव करना, कीटनाशक की उपयुक्त सांद्रता का घोल बनाना तथा प्रयोग करना आदि, कई बार ग्राहक कीटनाशकों के अतिरिक्त अन्य विकल्पों द्वारा पैस्ट कंट्रोल करवाना चाहता है, ऐसे में पैस्ट कैचर पिंजरों (Pest catcher cages) को स्थापित करना तथा उनका रख-रखाव करना, पैस्ट प्रभावित भवन (घर, होटल, रेस्ट्रां, फैक्ट्री आदि) का निरीक्षण करना, आवश्यकता पड़ने पर पैस्ट तथा संक्रमण स्थल के बीच अवरोधक लगाना (Installation of Physical Barriers) आदि।

फायदे का है व्यवसाय

पैस्ट मैनेजमेंट व्यवसाय से विनाशक जीवों के नियंत्रण हेतु नाना प्रकार के कार्य करने होते हैं, जिनका कोई एमआरपी अर्थात फिक्स दाम नहीं होता है, ग्राहक से कितना दाम वसूलना है, सामान्यतया यह कार्य की गुणवत्ता तथा उसको दी जाने वाली गारंटी की अवधि पर निर्भर करता है, अत: इसके लिए आपको स्वयं ही ग्राहक के साथ मीटिंग करके, अपने फायदे व नुकसान सोचते हुए आन-द-स्पाट निर्णय लेना होगा। उदाहरण हेतु यदि एक व्यवसायी पूर्व निर्मित भवन में दीमक नियंत्रण का कार्य करता है तो आइये देखें उसको कितना लाभ होगा **(तालिका-1)**

तालिका 1 : सामान्यतया चार अनुभवी तथा मेहनती कर्मचारी, एक दिन में 2000 वर्ग फिट दीमक नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। प्रस्तुत तालिका के माध्यम से लाभ-हानि को समझाने की कोशिश की गयी है।

कार्यालय:

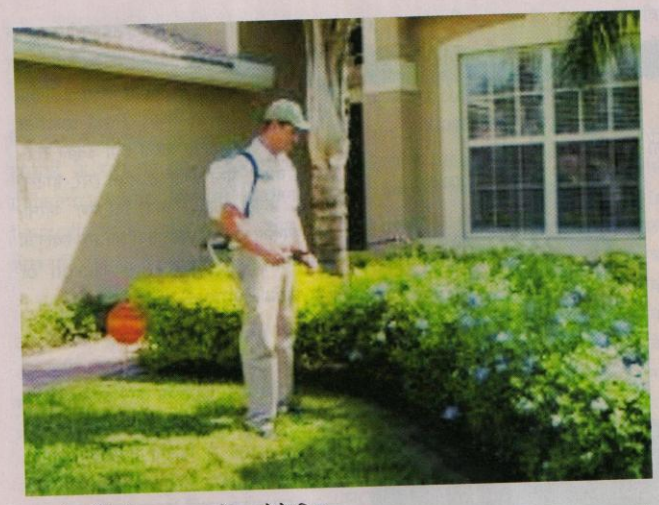

पैस्ट मैनेजमेंट व्यवसाय को चलाने के लिए आपको शहर के प्रमुख स्थान में एक आफिस चाहिए, जिसमें अलग-अलग कार्य हेतु कर्मचारी होने चाहिए यथा-

कॉल आफिसर: जिसका कार्य जनता के फोन अटेंड करना, मीटिंग फिक्स करना, समस्याओं का निराकरण करना, पूछ-ताछ का समुचित जवाब देना तथा ग्राहकों से मधुर संबंध स्थापित करना आदि होता हैं।

मार्केटिंग मैनेजर: जिसका कार्य साईट पर तुरंत प्रथम विजिट करना तथा व्यवसाय की संभावनाओं को तलाशना तथा टेक्नीकल आफिसर से कार्डिनेशन रखना आदि

टेक्नीकल आफिसर: जिसका कार्य पैस्ट की पहचान करना, ग्राहक को पैस्ट कंट्रोल या उससे बचने कौं जानकारी देना, यदि पैस्ट् मैनेजमेंट का कार्य करना है तो उसकी पूरी विधी तथा चार्जेज के लिए ग्राहक को तैयार करना आदि।

आपरेटर: जिसका कार्य साईट पर कार्य करना, ड्रिलिंग करना, स्प्रे करना आदि।

सुपरवाइजर: आपरेटर के कार्य पर नजर रखना तथा किये गए कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखना

सेल्स मैनेजर: जिसका कार्य सेल्स से संबंधित कार्य देखना, बिजनेस बढ़ाना, उत्पादों की बिक्री आदि होता है।

अपने व्यवसाय में कार्य के प्रति लगन, ईमानदारी, समर्पण, सकारात्मक सोच तथा ग्राहकों के प्रति सेवा भावना आपको कम समय में ही आसमानी बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। याद रखें कि पैस्ट मेनेजमेंट व्यवसाय को भी उपभोक्ता फोरम एक्ट में कवर किया गया है, अत: अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता पर पैनी निगाह रखने की भी नितांत आवश्यकता है।

फर्स्ट एड बॉक्स:

व्यवसाय में कभी भी किसी के भी घायल होने या कीटनाशक से प्रभावित होने की संभावना रहती है। अत: ऐसी स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट-एड बाक्स हमेशा तैयार रखें। प्रयोग किये जाने वाले कीटनाशकों के एंटी-डॉट भी साथ रखें। अधिकत्तर कीटनाशकों की मेटिरियल सेफ्टी डाटा शीट (MDS) होती है, एम.एस.डी.एस. होने से घायल को हास्पिटल में तुरंत सही उपचार मिल जाता है दस्ताने, मास्क हेलमेट, बूथ, चश्में, टार्च आदि सुरक्षा की वस्तुएं अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से उपलब्ध करवाते रहें।

भारत में पैस्ट मैनेजमेंट व्यवसाय एक तेजी से उभरता हुआ कारोबार है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाए हैं अपने मातहत कर्मचारियों के हितों का हमेशा ध्यान रखें, अच्छी मशीनों, दवाओं, उपकरणों का प्रयोग करें, तथा अपना ज्ञान निरंतर बढाते रहें। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने व्यवसाय में कार्य के प्रति लगन, ईमानदारी, समर्पण, सकारात्मक सोच तथा ग्राहकों के प्रति सेवा भावना आपकों कम समय

में ही आसमानी बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। याद रखें कि पैस्ट मेनेजमेंट व्यवसाय को भी उपभोक्ता फोरम एक्ट में कवर किया गया है, अत: अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता पर पैनी निगाह रखने की भी नितांत आवश्यकता है।

▪ बी.एस.रावत
वरिष्ठ वैज्ञानिक, रुड़की